

117

9

700
नियमित रीवा क.स.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, रवा लिखर

बिलोपित

बिलोपित

बिलोपित

बिलोपित



R. 1414-I/12

1. लक्ष्मती सिंह पिता रामचरणसिंह गोंड उम्री 40 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सहरत ताल / डोगरी थाना सरई तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र.
 2. जाहर सिंह पिता सुखलालसिंह गोंड उम्री 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सहरत ताल / डोगरी थाना सरई तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र.
 3. परसोत्तम सिंह पिता श्रीलोकसिंह गोंड
 4. सिरसोत्तम सिंह पिता श्रीलोकसिंह गोंड
 5. त्रिलोकसिंह पिता मोहर सिंह गोंड
- तीनों निवासी ग्राम सहरत-ताल / डोगरी थाना सरई तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश

अधिवक्ता श्री कृष्ण सिंह गहवार काश उल्हास रीवा दि: 20.4.2012

..... निगरानी कर्ता गण

बनाम

1. दयाराम पिता रामकेशवर सोनी उम्री 45 वर्ष पेशा - खेती निवासी ग्राम झलरी थाना सरई तहसील - सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश
2. मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेद कण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सिंगरौली प्रकरण क्रमांक - 147/अ-74/2010-11. आदेश दिनांक - 11.04.2011.

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 मो प्रो - भू-राजस्व संहिता, 1959.



9

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1414-I/12

जिला-सिंगरौली

लखपती सिंह/दयाराम सानी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 147/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: left;"></p> <p style="text-align: center;">III / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2018 / 0526</p>	